Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to review the privatization of Nagarnar Steel Plant in Bastar district of Chhattisgarh-Laid.

श्री दीपक बैज (बस्तर): बस्तर के खजिन सम्पदा का दोहन वर्षों से चल रहा है । एनएमडीसी का नगरनार स्टील प्लांट, बस्तर का केन्द्र सरकार निजीकरण कर रही है । प्लांट हेतु 610 हेक्टेयर निजी जमीन अधिग्रहित है, 211 हेक्टेयर जमीन छत्तीसगढ़ के प्लांट के इस्तेमाल हेतु है । आदिवासियों के हितों की रक्षा हेतु इस क्षेत्र में पेसा कानून 1996 लागू है । नियमों की अनदेखी करते हुए नगरनार प्लांट का निजीकरण अव्यवहारिक है । 20 हजार करोड़ रूपये की लागत से तकरीबन 15 वर्षों से बन रहे प्लांट से धुआं निकलने वाला ही था कि सरकार इसे निजी हाथों में बेच रही है । बस्तर की जनता आंदोलित है, प्लांट में नौकरी का सपना टूटते देख नौजवान आक्रोषित हैं । जनता की भावनाओं के विरूद्ध राष्ट्र की सम्पदा बेची जा रही है ।

मेरी मांग है कि आदिवासी हितों हेतु इस प्लांट का निजीकरण रोक दिया जाए और प्लांट से उत्पादन प्रारम्भ करने हेतु बस्तर के नौजवानों को इसमें रोजगार दिया जाए ।